

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 20.8.2011

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित संख्या	आवास	सेवानिवृति दिनांक
1.	11/09	डॉ० गोरी शंकर भार्गव विधि सहायक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	5/III/सी	बहुमंजिला आवास गाधीनगर	31.1.2025
2.	108/2010	डॉ० गोपाल लाल गुप्ता चिकित्सा अधिकारी, हड्डी रोग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	ए-18,	जवाहरनगर	31.8.2038
3.	115/2010	डॉ० जगदीश प्रसाद चिकित्सा अधिकारी, सर्जरी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-91	जवाहरनगर	31.12.2040
4.	52/2011	डॉ० अकरम मोहम्मद सी.ए.एस. (पी.जी.) (मेडिसन) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-25	जवाहरनगर (ए-99, जवाहरनगर के स्थान पर)	31.7.2042
5.	57/2011	डॉ० अशोक कुमार शर्मा सी.ए.एस. (पी.जी.) मेडीसीन, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-90	जवाहरनगर	30.6.2038
6.	59/2011	डॉ० अशोक कुमार कुलदीप मेडिकल ऑफिसर सी.ए.एस. (पी.जी.) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	ए-105,	जवाहरनगर	31.1.2040
7.	63/2011	डॉ० संदीप गर्ग चिकित्सा अधिकारी, सी.ए.एस. (पी.जी.) हड्डी रोग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-150,	जवाहरनगर	31.3.2043
8.	66/2011	डॉ० रंजन लाम्बा चिकित्सा अधिकारी शल्य चिकित्सा विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।	ए-151,	जवाहरनगर	31.8.2041
9.	86/2011	डॉ० आशा रानी मेडिकल आफिसर, (दन्त) राजकीय दन्त चिकित्सा महाविधालय जयपुर	जीए/III/टी-2/ 59,	विधाधरनगर	30.6.2034

शर्त:-

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।



6. चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. क्रम संख्या -1 पर अंकित डॉ० गोरी शंकर भार्गव से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

आज्ञा से



(मनफूल बैरवा)  
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, विधि विभाग, जयपुर।
8. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
9. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
10. अधीक्षक, राजकीय दन्त चिकित्सालय, जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराएँ साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि० गौंधीनगर/जवाहरनगर/मालवीयनगर/विद्याधरनगर, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गौंधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
15. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
17. संबंधित अधिकारीगण।
18. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
19. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
20. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
21. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव